

प्रपत्र संख्या 3
उत्तर प्रदेश सरकार वैध पंजीकरण के अधीन
के तहत वैध नवीनीकरण सोसाइटी पंजीकरण
अधिनियम 1860



नोट : पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के
लिए आवेदन अधिनियम की धारा 52 की
उपधारा (5) के तहत निर्धारित प्रपत्र संख्या 4
पर किया जाना चाहिए।



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश

(उत्तर प्रदेश निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2006 के अधीन स्वीकृत)

प्रमाण-पत्र संख्या : 5833/R/OL/2023-24

दिनांक : 07-08-2023

प्रमाणित किया जाता है कि **NATIONAL ASSOCIATION FOR THE BLIND UP STATE BRANCH** (संस्था का नाम) जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या **30** दिनांक **27-01-2020** द्वारा रजिस्ट्रीकृत है या एक रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास है या भारतीय रेडकास सोसाइटी की एक शाखा है, जो इस नियमावली में यथा उल्लिखित रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षाओं को पूरा करती है एतद्वारा अधोहस्ताक्षरी निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 द्वारा और इस नियमावली द्वारा भी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त संस्था को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर रहा है। यह प्रमाण-पत्र दिनांक **06-08-2028** तक विधिमान्य रहेगा।

1. संस्था के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा नाम व पता **NATIONAL ASSOCIATION FOR THE BLIND UP STATE BRANCH M.M.I.G 275 OBLIQUE 1 TIKAIT RAI COLONY LUCKNOW 226017**
2. संस्था की शाखायें / इकाइयों का पूरा नाम व पता **Plot No.16 Avon City near behope hospital, budheshwar, lucknow 226017**
3. संस्था के सचिव/प्रबंधक का पूरा नाम व पता **SATYA KUMAR SINGH M.M.I.G 275/1 TIKAIT RAI COLONY LUCKNOW LUCKNOW**

यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिनांक **07-08-2023** को हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

Prepared by

[Handwritten Signature]

